न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 15/2017 – निगरानी

1. भैरूलाल पिता रामा तेली निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. बालु पिता मोहन नाई निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा 2. ग्राम विकास पंचायत पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत पालरा पंचायत समिति रायपुर

उपस्थित –

1. श्री एम.एल.बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार सं. 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 03.05.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर की हाल आराजी नम्बर 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. किस्म जमीन गे.मु. आबादी होकर उक्त सम्पूर्ण आराजी में राजकीय भवन जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय, पटवार भवन तथा अन्य सरकारी भवनों कें निर्माण हेतु आरक्षित की गयी थी। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी उक्त आराजी उक्त भवनों के लिए आरक्षित दर्ज रिकार्ड है। जिसमें ग्राम पालरा के पूर्व सरपंच भंवरलाल पिता कालुराम जाट ने सन् 1995 से 2000 तक के कार्यकाल में अवैध रूप से विपक्षी सं. 01 सहित अन्य कई व्यक्तियों को गैर कानूनी तरीके से पटटे जारी कर दिये, जिसमें राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में विहित किसी भी नियम की पालना नहीं की । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा यह दर्शाया गया कि "अस्पताल व आंगनबाडी के लिए आबादी में परिवर्तन हुआ बाकी की जमीन पड़ी हुयी हैं । जिसमें काश्तकारों को बाडा बनाने के लिए रहने की स्वीकृति नहीं दी जाती हैं । जिस प्रयोजन के लिए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा ने उक्त साबिक आराजी नं. 937 मीन रकबा 19 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. राजकीय भवनों हेतु आरक्षित करने के उद्देश्य से आवंटन की गयी थी, किन्तु तत्कालीन सरपंच द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आरक्षित जमीन में विपक्षी सं. 01 सहित अन्य कई व्यक्तियों को बाड़े हेतु भूखण्ड आवंटित कर दिया, जो सरासर गैर कानूनी होकर निरस्त योग्य है। पटटे की प्रमाणित प्रति के अभाव में निगरानी प्रस्तुत की है। पंचायत की पत्रावली आने पर विपक्षी सं. 01 के नाम अथवा विपक्षी के किसी परिवारजन के नाम पर पटटा जारी होने की जानकारी होने पर निगराकार अपनी निगरानी में संशोधन करावेगा । अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी स्वीकार फरमाई जावे और विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा गैर कानूनी होने से और पंचायत अधिनियम में प्राविहित प्रावधानों के विरूद्व होने से निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 22.05.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत पालरा से पत्रावली तलब

की गयी। गैर निगराकार सं. 01 के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही की गयी। ग्राम पंचायत पालरा ने रिकार्ड प्रस्तुत किया ।

निगराकार अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 08 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर की हाल आराजी नम्बर 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. किस्म जमीन गे.मु. आबादी होकर उक्त सम्पूर्ण आराजी में राजकीय भवन जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय, पटवार भवन तथा अन्य सरकारी भवनों कें निर्माण हेतु आरक्षित की गयी थी। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी उक्त आराजी उक्त भवनों के लिए आरक्षित दर्ज रिकार्ड है। जिसमें ग्राम पालरा के पूर्व सरपंच भंवरलाल पिता कालुराम जाट ने सन् 1995 से 2000 तक के कार्यकाल में अवैध रूप से विपक्षी सं. 01 सहित अन्य कई व्यक्तियों को गैर कानूनी तरीके से पटटे जारी कर दिये, जिसमें राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में विहित किसी भी नियम की पालना नहीं की । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा यह दर्शाया गया कि "अस्पताल व आंगनबाडी के लिए आबादी में परिवर्तन हुआ बाकी की जमीन पड़ी हुयी हैं । जिसमें काश्तकारों को बाडा बनाने के लिए रहने की स्वीकृति नहीं दी जाती हैं । जिस प्रयोजन के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा ने उक्त साबिक आराजी नं. 937 मीन रकबा 19 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. राजकीय भवनों हेतु आरक्षित करने के उद्देश्य से आवंटन की गयी थी, किन्तु तत्कालीन सरपंच द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आरक्षित जमीन में विपक्षी सं. 01 सहित अन्य कई व्यक्तियों को बाड़े हेतु भूखण्ड आवंटित कर दिया, जो सरासर गैर कानूनी होकर निरस्त योग्य है। प्रार्थना हैं कि निगरानी स्वीकार फरमाई जावे और विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा गैर कानूनी होने से और पंचायत अधिनियम में प्राविहित प्रावधानों के विरूद्व होने से निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । सचिव ग्राम पंचायत पालरा द्वारा बालू पिता मोहन नाई के नाम की रोडी हेतु तलिया लेने की पत्रावली प्रस्तुत की। इस पत्रावली में ग्राम पंचायत पालरा द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है। केवल पंचायत की मिसल का सरवर्क , कार्यवाही का विवरण खाली पेश किये है। गैर निगराकार सं. 01 के नाम की रोडी की जगह दिलाने हेतु सरपंच पालरा को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसकी मूल प्रति पत्रावली में संलग्न है। ग्राम पंचायत पालरा द्वारा प्रेषित पत्रावली से गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में हाल आराजी नं. 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. किस्म गे.मु. आबादी भूमि का पटटा जारी होना प्रमाणित नहीं होता है। जबकि निगराकार ने अपनी निगरानी में ग्राम पालरा की हाल आराजी नं. 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. किस्म गे.मु. आबादी भूमि जो राजकीय भवनों , आयुर्वेदिक अस्पताल, आंगनबाड़ी केन्द्र, पटवार भवन एवं ग्राम सेवक क्वार्टर हेतु आरक्षित की गयी। ग्राम पालरा के नामान्तरकरण सं. 763 में आ.नं. 937 मी. रकबा 0.19 बिस्वा किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त को जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश से आयुर्वेदिक अस्पताल व आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आरक्षित होने पर पटवारी हल्का पालरा ने नामान्तरकरण सं. 763 दायर किया जिसकी जांच गिरदावर हल्का रायपुर द्वारा की जाकर नामान्तरकरण ग्राम पचांयत पालरा की कोरम में प्रस्तुत किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत पालरा द्वारा आ.नं. 937 मी. रकबा 0.19 बिस्वा को बाडा बनाने हेतु आबादी में परिवर्तन की स्वीकृति दिनांक 14.06.1987 को प्रदान की गयी । सरपंच ग्राम पंचायत पालरा द्वारा बिलानाम भूमि को आबादी में दर्ज करने की स्वीकृति विधि विरूद्व दी गयी । उक्त प्रकरण में सरपंच को बिलानाम भूमि में से आबादी में परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने के भी अधिकार ग्राम पंचायत पालरा को नही है। जबकि आ.नं. 937 मी. केवल आयुर्वेदिक अस्पताल व आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आरक्षित की गयी है। तहसीलदार रायपुर को नामान्तरकरण 763 के विरूद्व

अपील/रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में करना चाहिये । इस भूमि में विपक्षी सं. 01 के पक्ष में ग्राम विकास पंचायत पालरा द्वारा पटटा जारी करना अंकित किया हैं, लेकिन निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विपक्षी सं. 01 के नाम पर ग्राम पालरा के आराजी नं. 1237 रकबा 0.21 हैक्ट. भूमि में से पटटा जारी किया गया हो । राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि में से विपक्षी सं. 01 के नाम पर ग्राम पंचायत पालरा द्वारा आबादी का पटटा जारी करने के संबंध में निगराकार द्वारा राजकीय विभागों को भी पक्षकार नही बनाया गया हैं एवं राजकीय विभाग की ओर से राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि में से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पटटा जारी करने संबंधी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। उपरोक्त विवेचन के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव —

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत पालरा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती हैं। सरपंच ग्राम पंचायत पालरा द्वारा नामान्तरकरण सं. 763 से ग्राम पालरा के आ.नं. 937 मी.रकबा 0.19 बिस्वा बिलानाम भूमि को आबादी में दर्ज करने की स्वीकृति विधि विरूद्ध प्रदान की गयी। उक्त प्रकरण में सरपंच को बिलानाम भूमि में से आबादी में परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत पालरा को नामान्तरकरण स्वीकृत करने के भी अधिकार नही है। जबकि आ.नं. 937 मी. केवल आयुर्वेदिक अस्पताल व आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आरक्षित की गयी है। तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं कि नामान्तरकरण संख्या 763 के विरूद्ध अपील/रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में की जावे एवं पालना से दो माह में अवगत करवाया जावे। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पालरा एवं तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/05/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)